

[2010] 14 (अतिरिक्त) एस.सी.आर. 1043

के. बालारमन

बनाम

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं अन्य।

(2003 की दीवानी अपील संख्या 6647)

14 दिसंबर, 2010

**[दलवीर भंडारी एवं दीपक वर्मा, न्यायमूर्तिगण]**

सेवा विधि : वेतन वृद्धि- मूल वेतन में शामिल न किया जाना - रेलवे में स्टॉक वेरीफायर्स के पद पर पदोन्नति और पुष्टि - निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर स्टॉक वेरीफायर्स को प्रोत्साहन दिया गया - अपीलकर्ता ने ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की और उसे तीन वेतन वृद्धि दी गई - अभिनिर्धारित: अतिरिक्त वेतन वृद्धि को मूल वेतन का हिस्सा नहीं माना जा सकता है, बल्कि केवल एक अलग तत्व के रूप में माना जा सकता है, जिसे डी.ए. आदि की गणना के उद्देश्य के लिए नहीं गिना जाएगा।

रेलवे में स्टॉक वेरीफायर्स को निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन दिया गया था। अपीलकर्ता ने ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की और उसे तीन अग्रिम वेतन वृद्धि भी दी गई। उत्तरदाता-बोर्ड ने 25.07.1995 के अपने पत्र में स्पष्ट रूप से कहा कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए स्टॉक वेरीफायर्स को दी गई तीन अग्रिम वेतन वृद्धि को अतिरिक्त वेतन वृद्धि माना जाए और इसे मूल वेतन के हिस्से के रूप में नहीं माना जा सकता है। 08.05.1996 को एक अन्य पत्र जारी किया गया जिसमें यह आदेश दिया गया कि अतिरिक्त वेतन वृद्धि को मूल वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा और महंगाई भत्ते की गणना के लिए इसे नहीं गिना जाएगा। उक्त पत्र के विरुद्ध अपीलकर्ता ने न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन दायर किया। न्यायाधिकरण ने यह माना कि अतिरिक्त वेतन वृद्धि व्यक्ति के मूल वेतन का हिस्सा बनेगी और अपीलकर्ता परिणामी लाभों का हकदार होगा। हालांकि, उच्च न्यायालय ने यह माना कि वेतन वृद्धि को मूल वेतन के हिस्से के रूप में नहीं माना जा सकता, बल्कि केवल एक अलग तत्व के रूप में माना जा सकता है जिसे डी.ए. आदि की गणना के उद्देश्य के लिए नहीं गिना जाएगा। उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान अपील दायर की गई थी।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित : न्यायाधिकरण ने गलत तरीके से यह माना कि तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धि मूल वेतन का हिस्सा होंगी। उच्च न्यायालय न्यायाधिकरण के निर्णय को अपास्त करने में पूरी तरह से न्यायसंगत था। [कंडिका 9] [1047-ग-घ]

दीवानी अपील की क्षेत्राधिकार: 2003 की अपील संख्या 6647।

मद्रास स्थित उच्च न्यायालय के विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संख्या 4956, 1999 में दिए गए निर्णय और आदेश दिनांक 23.04.2002 से।

अपीलकर्ता की ओर से ए.टी.एम. संपत और टी.एस. शांति।

उत्तरदाताओं की ओर से ए. मरिअरपुथम, सी.एच. शम्सुद्दीन खान और ए.के. शर्मा (अनिल कटियार के लिए)।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

**दलवीर भंडारी, न्यायमूर्ति** द्वारा 1. यह अपील मद्रास स्थित उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संख्या 4956, 1999 और अन्य संबंधित याचिकाओं में 23 अप्रैल, 2002 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है।

2. इस अपील के निपटान के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

3. अपीलकर्ता उत्तरदाता संख्या 1 - रेलवे बोर्ड में श्रेणी 'सी' में कार्यरत था। रेलवे में स्टॉक वेरीफायर्स के पदों को श्रेणी 'सी' के क्लर्क ग्रेड I, सिलेक्शन ग्रेड क्लर्क्स और सब-हेड्स की श्रेणी से भरा जाना होता है। "स्टॉक वेरीफायर्स के पद पर पदोन्नति और पुष्टि" के संबंध में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मद्रास पीठ के समक्ष रेलवे बोर्ड द्वारा दायर जवाब में निम्नानुसार उल्लेख किया गया था:

"(1) वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारियों के कार्यालयों में क्लर्कों के पदों पर मौलिक रूप से कार्यरत व्यक्तियों की स्टॉक वेरीफायर्स के पद पर पदोन्नति वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर होगी, जिसमें बाहरी कार्य के लिए उपयुक्तता भी शामिल है। लेखा लिपिकों के मामले में, स्टॉक वेरीफायर्स के पद पर पदोन्नति तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि वे अपेंडिक्स-2 में निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न कर लें। लेखा लिपिकों द्वारा स्टॉक वेरीफायर्स के पद पर पदोन्नत होने से पहले अपेंडिक्स 2 में निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त को, विशेष मामलों में, महाप्रबंधक की मंजूरी के तहत शिथिल किया जा सकता है।

(6) किसी स्टॉक सत्यापनकर्ता को तब तक कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी जब तक कि वह अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता और लगातार दो परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने पर उसे उसके मूल पद पर वापस भेज दिया जाएगा।" (स्वरेखांकित)।

4. पांचवें वेतन आयोग ने स्टॉक सत्यापनकर्ताओं के संदर्भ में कंडिका 83:243 में निम्नानुसार सिफारिश की है:

"..... स्टॉक सत्यापनकर्ताओं के लिए लेखा सहायकों (यानी 1600-2660 रुपये) से उच्च वेतनमान की सिफारिश करना संभव नहीं हो सकता है। स्टॉक सत्यापनकर्ताओं के लिए चयन ग्रेड, जो चतुर्थ केंद्रीय वेतन आयोग से पहले उपलब्ध था, की समीक्षा स्टॉक सत्यापनकर्ताओं के लिए दूसरे ग्रेड के रूप में की जा सकती है। वर्तमान शर्तों में यह वेतनमान 1640-2900 रुपये प्रस्तावित है। इससे स्टॉक सत्यापनकर्ता अपने क्षेत्र में बने रहने के लिए प्रेरित होंगे और लेखा/अनुभाग अधिकारी स्ट्रीम की ओर आकर्षित नहीं होंगे।

सिफारिश के दौरान, पांचवें वेतन आयोग ने स्टॉक सत्यापनकर्ताओं द्वारा लेखा सहायकों की तुलना में उच्च वेतनमान की मांग और स्नातक डिप्लोमा प्राप्त करने पर प्रोत्साहन की मांग पर ध्यान दिया। आयोग ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि चयनित स्टॉक सत्यापनकर्ताओं को एफ.आर. 22 (सी) के तहत वेतन निर्धारण का लाभ और अर्हक अपेंडिक्स 4 आईआरईएम परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी गई थी। वेतन आयोग की सिफारिश के बाद, तत्कालीन उप-प्रमुखों (अब लेखा सहायक) और स्टॉक सत्यापनकर्ताओं का वेतनमान 1400-2600 रुपये के रूप में समान हो गया। यह भी नोट किया गया कि स्टॉक सत्यापनकर्ताओं के लिए तीन अग्रिम वेतन वृद्धि के प्रोत्साहन के बावजूद, क्षेत्रीय रेलवे इन पदों को भरने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और मंत्रालय ने स्टॉक सत्यापनकर्ताओं के लिए उच्च वेतनमान की मांग का समर्थन किया था।"

5. स्टॉक सत्यापनकर्ताओं को परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन दिया गया था। अपीलकर्ता ने परीक्षा उत्तीर्ण की और उसे तीन अग्रिम वेतन वृद्धि भी दी गई।

6. उत्तरदाता-बोर्ड ने 25.07.1995 के अपने पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 1400-2600 रुपये के ग्रेड में स्टॉक सत्यापनकर्ताओं को दी गई तीन अग्रिम वेतन वृद्धि को अतिरिक्त वेतन वृद्धि के रूप में माना जा सकता है और इसे मूल वेतन का हिस्सा नहीं माना जा सकता है।

7. हालांकि, इस अपील में 08.05.1996 का आक्षेपित पत्र जारी किया गया, जिसमें यह आदेश दिया गया था कि अतिरिक्त वेतन वृद्धि को मूल वेतन के हिस्से के रूप में नहीं माना जाएगा और महंगाई भत्ते की गणना के लिए इसे नहीं गिना जाएगा। उक्त पत्र के विरुद्ध, अपीलकर्ता ने एक मूल आवेदन दायर करके केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मद्रास पीठ ने ओ.ए. संख्या 776/1996 में उल्लेख किया है कि अतिरिक्त वेतन वृद्धि व्यक्ति के मूल वेतन का हिस्सा बनेगी और अपीलकर्ता परिणामी लाभों का हकदार होगा। उत्तरदाता - अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उक्त निर्णय के विरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष एक विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की। आक्षेपित निर्णय में, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अवलोकन किया है कि:

"..... कि वेतन वृद्धि को मूल वेतन के हिस्से के रूप में नहीं माना जा सकता है, बल्कि केवल एक अलग तत्व के रूप में माना जा सकता है जिसे डी.ए. आदि की गणना के उद्देश्य से नहीं गिना जाएगा।"

8. उत्तरदाता - रेलवे बोर्ड का रुख सुसंगत रहा है कि अपीलकर्ता को दी गई अग्रिम वेतन वृद्धि को मूल वेतन, डी.ए. और पेंशन लाभों के लिए नहीं गिना जाएगा।

9. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने त्रुटिपूर्ण रूप से यह माना कि तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धि मूल वेतन का हिस्सा होंगी। हमारे सुविचारित मत में, उच्च न्यायालय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय को अपास्त करने में पूरी तरह से न्यायसंगत था। इस मामले के परिप्रेक्ष्य में, हमें योग्यता के आधार पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आक्षेपित निर्णय में कोई खामी नहीं मिली है। यह अपील, किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण, तदनुसार खारिज की जाती है, और पक्षकारों को अपना स्वयं का खर्च वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

बी.बी.बी.

अपील खारिज।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।